

वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याणि सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2001

विषय :- राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2001-2006

क्रमांक 1167/सं.स./वा.उ.सा.उ./2001- राज्य शासन एतद्वारा 1 नवंबर 2001 से छत्तीसगढ़ की निम्नानुसार औद्योगिक नीति घोषित करता है :-

1. प्रस्तावना :

प्रचलित अवधारणाओं के विरुद्ध छत्तीसगढ़, भारत के बड़े राज्यों में से एक है, छत्तीसगढ़ राज्य भौगोलिक रूप से तमिलनाडू, बिहार एवं पंजाब से बड़ा है।

छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र, खनिज संपदा से भरपूर है। यहां औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं।

छत्तीसगढ़ के लिए 21वीं सदी आर्थिक उन्नयन का समय है। विगत अनुभवों से यह सिद्ध हो चुका है कि औद्योगिक विकास में अनुदान की भूमिका गौण है जबकि बेहतर औद्योगिक विकास के लिए बेहतर शासन एवं उत्कृष्ट अधोसंरचना अधिक जरूरी है। इससे औद्योगिक विकास की संभावनाएं बेहतर होंगी। छत्तीसगढ़ शासन का यह प्रयास होगा कि उद्योगों को छोटी-मोटी सुविधाओं की जगह उन्हें बेहतर से बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध करायेगी साथ ही व्यापक एवं जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा।

शासन उद्योगों के लिए एक नियंत्रक की भूमिका का करते हुए हुए “व्यवसायिक क्षमता उत्प्रेरक” की भांति काम करेगा।

आर्थिक व सामाजिक उत्थान को गति देने के उद्देश्य से शासन ने “विजन-2010” की एक मार्गदर्शिका तैयार की है, जिसमें प्रदेश की दीर्घकालिक विकास की प्राथमिकताओं का समावेश किया गया है। छत्तीसगढ़ विजन 2010 औद्योगिक भागदारी एवं सकल राजकीय घरेलू उत्पाद (Gorss State Domestic Product - G.S.D.P.) के आधार पर तैयार किया गया है। वर्तमान में G.S.D.P. लगभग 5500 करोड़ रु. है, जिसके अगले दशक तक दुगुना हो जाने की संभावना है। औद्योगिक विकास की यह दर वास्तविक है एवं छत्तीसगढ़ में उपलब्ध अपेक्षाकृत अधिक लाभदायी निम्न बिन्दुओं पर आधारित है :-

- ❖ प्राकृतिक संसाधन - असीमित खनिज संपदा
- ❖ उपलब्ध अधोसंरचना - आधिक्य ऊर्जा एवं अधोसंरचना विकास की अपार संभावनाएं
- ❖ उपयुक्त भौगोलिक स्थिति - छत्तीसगढ़ भारत के पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी छोर पर स्थित बाजार से समान दूरी पर है।
- ❖ उत्पादन का आर्थिक पहलू - सस्ती दरों पर भूमि, शांत औद्योगिक माहौल

राज्य के औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विजन 2010 में दर्शित मुख्य बातें :-

- ❖ मुख्य उद्योग क्षेत्र एवं उन पर आधारित आश्रित उद्योगों के क्षेत्र में बड़ी संख्या में पूंजी निवेशकों को आकर्षित करना।
- ❖ कम लागत के "पिट-हेड" थर्मल पावर प्लांट (Low Cost Pit Head Thermal Power Plant) की स्थापना को प्रोत्साहित कर भारत में ऊर्जा स्रोत का केन्द्र बिन्दु बनना।
- ❖ लाभदायी भौगोलिक स्थिति।

छत्तीसगढ़ शासन का यह निर्णय है कि नीति में स्थायित्व ही मार्गदर्शी सिद्धांत होगा। शासन निजी क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। केवल उत्तम प्रशासन एवं सहयोगी की भूमिका निभायेगा जहां भी एवं जहां तक संभव हो सके निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व जो भी वायदे किए हैं, वो उन्हें पूर्ण करेगा एवं नवंबर 2000 के पूर्व संपादित सभी आनुबंधिक दायित्वों को सम्मान देगा।

इन तथ्यों को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति दीर्घ चर्चा के उपरांत सभी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तैयार की गई है।

खण्ड 2.0, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक विकास निम्नांकित चार प्रमुख बिंदुओं पर समावेश हैं :-

- ❖ समूह आधारित उद्योगों का विकास (Cluster based Industrial Development)
- ❖ बेहतर प्रशासन एवं उत्कृष्ट अधोसंरचना (Good governance & excellent infrastructure)
- ❖ लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास (Improving the competitiveness of small scale industries)
- ❖ निर्देशित सुविधाएं (Directed incentives)

उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई है।

खण्ड 3.1 में पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई है जो निम्नानुसार है :-

1. कृषि एवं वनों पर आधारित उद्योग
2. खनिज पर आधारित उद्योग
3. पारंपरिक उद्योग
4. उदीयमान उद्योग
5. अधोसंरचना विकास को उद्योग का दर्जा देना

बेहतर प्रशासन एवं उत्कृष्ट अधोसंरचना की जानकारी खण्ड 3.2 में दी गई है। लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता (Improving competitiveness) के विकास की समीक्षा खण्ड 3.3 में की गई है।

खण्ड 3.4 में निर्देशित सुविधाओं (Directed incentives) की जानकारी दी गई है। ऐसी सुविधाएं केवल थ्रस्ट क्षेत्र एवं वृहत उद्योगों को दी जाएंगी।

औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन एवं सतत् निरीक्षण का उल्लेख खण्ड 4.0 में है।

2. विकास योजनाएं :

छत्तीसगढ़ इस औद्योगिक नीति में चार मूल योजनाओं को चिन्हित करता है :-

- ❖ समूह आधारित औद्योगिक विकास
- ❖ बेहतर शासन एवं उत्कृष्ट अधोसंरचना
- ❖ लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के सुधार
- ❖ निर्दिष्ट प्रोत्साहन

योजना 1 : समूह आधारित औद्योगिक विकास :

छत्तीसगढ़ के तुलनात्मक दृष्टि से लाभदायक भौगोलिक स्थिति के आधार पर उन पांच क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिस पर हमारा अधिकतम ध्यान होगा। शासन उद्यमियों द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी पूंजी निवेश का स्वागत करेगा किंतु इन श्रष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम लागत में उत्पादन करने हेतु अपने प्रयासों को केंद्रित करेगा।

योजना 2 : बेहतर शासन एवं उत्कृष्ट अधोसंरचना :

तीव्र औद्योगिक विकास हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में साझेदारी बनाने एवं प्रेरक व्यावसायिक वातावरण बनाने में शासन प्रमुख भूमिका अदा करेगा। शासन इस संबंध में निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- ❖ वृहद स्थिर आर्थिक नीतियों को बनाना एवं लागू करना
- ❖ नियमों एवं विनियमों को लागू करने में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण सुनिश्चित करना
- ❖ मौलिक एवं विशेषीकृत भौतिक अधोसंरचना विशेषतः औद्योगिक पार्क में बजट के माध्यम से आबंटन में वृद्धि, ऋण लेना एवं सार्वजनिक - निजी क्षेत्र साझेदारी.
- ❖ मानव संसाधन विकास.

योजना 3 : लघु उद्योगों की प्रतियोगी क्षमता में सुधार :

लघु उद्योगों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है और ये राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य में लघु उद्योगों का विकास क्रियाशील नीति के माध्यम से किया जाएगा ताकि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में उनकी प्रतियोगी क्षमता का विकास हो सके। इसके अंतर्गत उत्पाद एवं सेवा में गुणवत्ता सुधार, कौशल विकास एवं विपणन सुविधा है। औद्योगिक नीति का लक्ष्य इस क्षेत्र में दीर्घकालीन स्थायी विकास प्राप्त करना होगा न कि छोटी अवधि के लिए जीविका उपलब्ध कराने वाला विकास। इससे देशीय उद्यमिता कौशल में भी वृद्धि होगी।

योजना 4 : निर्दिष्ट प्रोत्साहन :

शासन छोटी-छोटी सुविधाएं प्रावधानित करने की अपेक्षा उत्कृष्ट अधोसंरचना स्थापना के प्रावधानों पर ध्यान केन्द्रित करेगा। राज्य शासन श्रष्ट क्षेत्र को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें त्वरित राजकोषीय सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता का अनुभव करता है ताकि इन श्रष्ट क्षेत्रों में नये उद्योग आ सकें। इसी तरह छत्तीसगढ़ शासन निर्देशित सुविधाओं की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जिससे पूंजी निवेश एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, देशीय उद्यमिता की प्रतियोगी क्षमता बढ़ेगी एवं भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना के विकास में योगदान करेगी।

इन व्यूह रचनाओं पर आधारित विशेषीकृत कार्य विधियों एवं नीतिगत उपायों की चर्चा अनुवर्ती अध्यायों में की गई है।

3.1 समूह आधारित औद्योगिक विकास :

समूह आधारित औद्योगिक विकास हेतु राज्य शासन ने निम्नानुसार थ्रस्ट सेक्टर की पहचान की है :-

कृषि , वन एवं खाद्य पर आधारित उद्योग :-

- ❖ कृषि आधारित इकाईयां
- ❖ पशुधन , पशुधन आधारित उत्पाद
- ❖ फूलों की खेती (Floriculture)
- ❖ मत्स्य पालन
- ❖ वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाईयां
- ❖ औषधीय/जड़ी बूटी आधारित प्रसंस्करण इकाईयां

खनिज पर आधारित उद्योग :-

- ❖ लौह एवं इस्पात तथा इन पर आधारित उद्योग
- ❖ सीमेंट व सीमेंट पर आधारित उद्योग
- ❖ एल्युमिनियम व एल्युमिनियम पर आधारित उद्योग
- ❖ कोयले पर आधारित एवं अन्य रसायन उद्योग
- ❖ कीमती पत्थर एवं आभूषण
- ❖ ग्रेनाइट

परम्परागत उद्योग :-

- ❖ हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग

उदीयमान उद्योग :-

- ❖ सूचना एवं प्रौद्योगिकी (Information Technology)
- ❖ जैव प्रौद्योगिकी (Bio Technology)

अधोसंरचनात्मक उद्योग :-

- ❖ ऊर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण
- ❖ सड़कें व परिवहन
- ❖ शहरी अधोसंरचना जिसमें नवीन रायपुर का विकास सम्मिलित है
- ❖ जलप्रदाय

राज्य शासन योजनाबद्ध ढंग से निम्न क्षेत्रों में आर्थिक समूहों को प्रोत्साहित करेगा :-

- ❖ पर्यटन (Tourism)
- ❖ फिल्म सिटी तथा स्थानीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिए मनोरंजन के क्षेत्र में बहुआयामी काम्पलेक्स का विकास

संबंधित औद्योगिक संगठनों की सहायता से इन समूहों की आर्थिक संभाव्यता का अध्ययन किया जावेगा एवं इनके अध्ययन के उपरांत राज्य शासन ऐसे औद्योगिक समूहों को विशेष सुविधाएं प्रदान करेगा।

शासन की भूमिका :-

शासन के पांच प्रभावपूर्ण सेक्टर में समूह पर आधारित उद्योगों की योजनाबद्ध सुविधाएं निम्नानुसार है:-

- ❖ संयोजना - शासन के विभिन्न स्तरों में, समूहों एवं इकाइयों के बीच संयोजन एवं सामंजस्य स्थापित करना, शासन का उद्देश्य फर्म एवं उनके बीच सहयोग एवं तकनीकी व्यापारिक संस्थानों की योजना एवं गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना है।
- ❖ मानव संसाधन एवं विकास - शासन प्रत्येक क्षेत्र में मानव संसाधन की आवश्यकतानुसार योग्यता का विकास करेगा तदनुसार अनुकूल तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुवात करेगा।
- ❖ निवेश - शासन बाह्य निवेश की ओर आकर्षित करने के लिए निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी और संबंधित औद्योगिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करेगा।

कृषि एवं वन आधारित उद्योग :

राज्य अपनी प्राथमिकताओं के प्रति सजग है. सकल घरेलू उत्पादों का बड़ा भाग इन प्राथमिकताओं के अंतर्गत आता है. राज्य के कुल रोजगार का 80% भाग इसी प्राथमिक क्षेत्र में है. इस सेक्टर में, कृषि उत्पादन से आरंभ कर अंतिम उत्पाद तक उनकी प्रोसेसिंग प्रक्रिया को बढ़ावा देने की आवश्यकता है. इसके अंतर्गत -

ऐसी इकाइयां जो फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों एवं चिकित्सीय पौधों की प्रोसेसिंग करती है।

पशुधन प्रसंस्करण एवं मत्स्य पालन पर आधारित उद्योग. ऐसे विशेष औद्योगिक केन्द्रों का विकास करना हो, जिनमें फलों, सब्जियों, फसलों का अनुरक्षण, शीतगृहों का निर्माण, हवाई मार्ग द्वारा इनके शीघ्रतम निर्यात की व्यवस्था करने वाली इकाइयां शामिल है।

पड़ती भूमि एवं बिगड़े भू-खण्डों को वृक्षारोपण करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन पट्टे पर मुहैया कराना ताकि वनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सके. एकीकृत कृषि आधारित उद्योग समूहों के विकास हेतु शासन ऐसी रिक्त भूमि में से 500 हेक्टेयर भू-खण्ड (अपवाद स्वरूप प्रकरणों में 1000 हेक्टेयर तक भू-खण्ड) का आबंटन करेगी। यह आबंटन उन कृषि आधारित, इकाइयों को होगी जो तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से लाभदायक परियोजनाओं पर आधारित होगी।

वाणिज्य कृषि एवं एकीकृत प्रसंस्करण इकाइयों हेतु एवं मूल्य संबंधित इकाइयों हेतु लैंड-सीलिंग-एक्ट पर पुनर्विचार किया जाएगा।

शासन कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों का निर्माण करेगा. इस कार्य में शासन सी.आई.एफ.टी.आई. (कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री), सी.एफ.टी.आर.आई. (सेन्ट्रल फूड टेक्नालॉजी रिसर्च सेन्टर, मैसूर) आदि संस्थानों के साथ भागीदारी करेगी।

ग्रेडिंग, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) एवं कोल्ड स्टोरेज जैसी मूल्य संवर्धित इकाइयों के वित्त पोषण के लिए शासन वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।

खनिज पर आधारित उद्योग :

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में देश का अग्रणी राज्य है. यहां कोयला, लोहा (लौह अयस्क), बाक्साइट, सोना, हीरा आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. इस क्षेत्र में खनिज पर आधारित उद्योगों के विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं. इनके विकास से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

शासन इस क्षेत्र में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कदम उठायेगा :-

- ❖ उत्खनन के नवीन तरीके जैसे रिमोट सेंसिंग एवं ऐरो मैग्नेटिक सर्वे जैसे तरीके अपनाएंगी. इन आधुनिक तकनीकों से राज्य में स्थित खनिजों की खोज करेगी।
- ❖ शासन छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का सर्वे करेगा एवं "स्पेशल माइनिंग जोन" की खोज करेगा ताकि सुलभ तरीके से उत्खनन किया जा सके। यह भी सुनिश्चित करेगा कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो. एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी जो समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर सभी प्रकार के क्लीयरेंस प्राप्त करेगी, जिससे इस स्पेशल माइनिंग जोन में उत्खनन प्रारंभ किया जा सके।
- ❖ अन्य राज्य अथवा अन्य देशों की मदद से खनिज क्षेत्रों का अन्वेषण किया जाएगा।
- ❖ शासन खनिज पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। साथ ही निम्न स्तर के खनिज अयस्कों को लाभदायक अयस्क में परिवर्तित करने वाली इकाइयों को बढ़ावा देगा।
- ❖ लौह एवं इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, कोयले पर आधारित रसायन एवं ग्रेनाइट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- ❖ रत्न एवं रत्न परिष्कार पार्क/केन्द्रों की स्थापना।

परंपरागत उद्योग :

हस्तशिल्प एवं हाथकरघा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा. उत्पाद की गुणवत्ता एवं विपणन व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु कार्यरत डिजाइन सेंटर एवं निर्यात संवर्धन परिषद् के माध्यम से प्रयास किये जायेंगे।

उदीयमान उद्योग :

(क) सूचना प्रौद्योगिकी :

संस्थागत ढांचा :-

राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी को उच्च प्राथमिकता दी है, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) नामस एक नोडल तकनीकी संस्था बनाई गई है।

अधोसंरचना :-

प्रथम चरण में साफ्टवेयर तकनीकी पार्क राज्य की ज्ञान-राजधानी भिलाई में स्थापित किया जाएगा, जहां भारत सरकार के उपक्रम साफ्टवेयर टेक्नालॉजी ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गेट-वे लगाया जा रहा है। भिलाई में साफ्टवेयर व्यापार विकास एवं निर्यात की संभावनाएं हैं। रायपुर में भिलाई मात्र 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। हजारों प्रशिक्षित मानव संसाधन भी यहां उपलब्ध है।

ई-गवर्नेंस :-

शासन ई-गवर्नेंस-शासन से नागरिक को (जी 2 सी) इंटरफेस साथ ही शासकीय प्रणालियों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

मानव संसाधन विकास :-

प्राथमरी एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा दिये जाने के साथ-साथ, मानव संसाधन विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा एवं कालेजों में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु सार्थक प्रयास किये जाएंगे।

सूचना प्राद्योगिकी उद्योगों को सुविधाएं :

- ❖ साफ्टवेयर इकाइयों को प्रदूषण निवारण नियमों से पूर्ण छूट .
- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हेतु स्वत्व अर्जन में स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट .
- ❖ औद्योगिक विकास केन्द्रों में आर्बिट्रट भूमि प्रबन्धन पर 25% की छूट .
- ❖ निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर इकाइयों को उनके अधोसंरचना विकास जैसे भूमि, विद्युत, जल, पहुंच मार्ग, कर्मचारी आवास आदि के विकास पर होने वाली खर्च राशि में शासन द्वारा आंशिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह सहायता अधोसंरचना लागत का 25% एवं अधिकतम 1 करोड़ तक सीमित होगी . ब्याज अनुदान के रूप में पांच वर्ष के लिए 5% वार्षिकी की दर से अधिकतम पांच लाख रुपये तक इन उद्योगों को सहायता दी जावेगी।
- ❖ समस्त नये स्थापित होने वाले सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को उनके व्यवसायिक उत्पादन आरंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक विद्युत कर (Electricity Duty) के भुगतान से छूट होगी।
- ❖ 150 के.वी.ए. तक के कैप्टिव जनरेटिंग यूनिट वाली सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को विद्युत कर (Electricity Duty) से बिना समय सीमा के छूट।
- ❖ शासन द्वारा आगामी पांच वर्षों में तीस करोड़ रुपये का एक प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष बनाया जाएगा। इस फंड से लघु एवं मध्यम (सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों सहित) इकाइयों को ब्याज अनुदान के रूप में उनके द्वारा तकनीकी प्रोन्नति हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के विरुद्ध वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- ❖ अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में (अनुसूचित क्षेत्रों सहित) स्थापित होने वाले ऐसे उद्योगों को उनकी परियोजना लागत का दस प्रतिशत आधारभूत सहायता के रूप में दिया जाएगा।
- ❖ आई.एस.ओ. 9000 श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु किये गये फीस पर व्यय की 50% प्रतिपूर्ति।
- ❖ मूल्य/गुणवत्ता के मापदंड को सुनिश्चित करने वाली राज्य में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित इकाइयों को शासकीय क्रय में प्राथमिकता।
- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को वो सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो राज्य में स्थित लघु उद्योगों को प्राप्त होती है।

(ख) जैव प्रौद्योगिकी :

उदीयमान जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल राज्य के वृहद् प्राथमिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए कृषि उत्पादन एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में किया जाएगा। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, अशासकीय संस्थाओं की सहायता से राज्य शासन जैव प्रौद्योगिकी स्त्रोतों को सूचीबद्ध करेगी। इस क्षेत्र में विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य शासन अपनी क्षमता का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक तथा नवीन उत्पादों के विकास में करेगा।

राज्य सरकार चयनित क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को उत्तम गुणवत्ता की अधोसंरचना उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएगी। अंतराष्ट्रीय विकास संस्थाओं तथा भारत शासन के सहयोग से जैव प्रौद्योगिकी की कंपनियों को आकृष्ट करने का राज्य शासन का ध्येय रहेगा।

अधोसंरचनात्मक इकाइयों को उद्योग का दर्जा :

नवगठित राज्य अधोसंरचनात्मक विकास के अधिकाधिक अवसर प्रदान करेगा एवं इन इकाइयों को उद्योग का दर्जा देगा।

ऊर्जा :

छत्तीसगढ़ राज्य कोयले के उत्पादन में देश का प्रमुख राज्य है। राज्य में सर्वाधिक सस्ता पिट-हेड ऊर्जा का उत्पादन होता है। भविष्य में छत्तीसगढ़ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य होगा। राज्य शासन यह महसूस करता है कि उद्योगों को गुणवत्ता वाली निरंतर ऊर्जा उचित दर पर उपलब्ध कराना आवश्यक है यह औद्योगीकरण की ओर एक कदम होगा। राज्य शासन उद्योगों को वाजिब दर पर सुनिश्चित बिजली उपलब्ध करायेगा ताकि उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से इस राज्य में आकर्षित हो सकें एवं टिक सकें। बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए एक अलग पैकेज बनाया जाएगा।

सामान्यतः कैप्टिव पावर प्लांट की आवश्यकता उस परिस्थिति में होती है, जब बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित न हो। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य बिजली के मामले में सरप्लस है, किंतु भविष्य में मांग में संभावित वृद्धि को देखते हुए तथा अन्य राज्यों की मांगों की पूर्ति के उद्देश्य से कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के संबंध में शासन के नीति निर्देश निम्नानुसार है :-

- (I) छत्तीसगढ़ को ऊर्जा राज्य बनाए जाने की राज्य शासन की मंशा के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन कैप्टिव प्लांट के माध्यम से उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा तथा कैप्टिव प्लांट से उत्पादन की अनुमति देने पर उदारतापूर्वक विचार करेगा।
- (II) कैप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता को अपनी ही किसी अन्य इकाई (सिस्टर कन्सर्न) को विद्युत विक्रय की अनुमति दी जाएगी, किन्तु राज्य में स्थित थर्ड पार्टी को विक्रय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(III) कैप्टिव पावर प्लांट धारक द्वारा बिजली का विक्रय अन्य राज्यों को करने की दशा में राज्य विद्युत मंडल तथा राज्य शासन हर संभव सहायता करेगा। यह विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के माध्यम से होगा किंतु क्रेता राज्य/संस्था ढूंढने का उत्तरदायित्व कैप्टिव पावर प्लांट धारक का ही होगा। कैप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ता से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा विद्युत क्रय की दर यथा संभव आपसी सहमति से निर्धारित की जाएगी।

(IV) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कैप्टिव पावर प्लांट से बिजली का क्रय तभी करेगा जब उसे आवश्यकता होगी। क्रय की दर का निर्धारण अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाली बिजली की दरों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

सड़कें तथा परिवहन एवं भण्डारण :

छत्तीसगढ़ शासन ने करीब 3000 कि.मी. लम्बाई तक दो उत्तर-दक्षिण एवं चार पूर्व-पश्चिम रोड कारीडोर के निर्माण करने का निर्णय लिया है। शासन के इस कदम से संबंधित क्षेत्रों में वृहत पूंजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। रोड कारीडोर के निर्माण को लाभदायक बनाने के लिए निजी भागीदारी की जाएगी। बस एवं ट्रकों का यातायात पूर्णतः निजी निवेशकों पर निर्भर रहेगा। भंडारण राज्य के वाणिज्य तथा उद्योगों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाएगा। इसका समय से विस्तार, उद्योगों के विकास में सहायक होगा।

नगरीय अधोसंरचना-नवीन रायपुर नगर के विकास सहित :

छत्तीसगढ़ की राजधानी नवीन रूप में विकसित की जाएगी जिसका नाम होगा "न्यू - रायपुर" जो शासन की सबसे बड़ी अधोसंरचना विकास परियोजना होगी। इसके अलावा छः नगर निगमों एवं बीस नगरपालिकाओं को उन्नत अधोसंरचना की आवश्यकता होगी जो निजी निवेशकों की मदद से पूर्ण की जाएगी।

3.2 बेहतर प्रशासन एवं उत्कृष्ट अधोसंरचना :

बेहतर प्रशासन :

छत्तीसगढ़ शासन मैत्रीपूर्ण व्यावसायिक वातावरण निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है एवं वह ऐसे नियमों तथा प्रक्रियाओं में कमी लाएगा जो व्यक्ति की कार्यक्षमता को कम करती है एवं राज्य शासन के साथ कारोबारी लागत में वृद्धि करती है।

राज्य शासन स्वप्रमाणीकरण (Self Certification), अतिशय अभिलेखीकरण तथा अभिस्वीकृतियों को समाप्त करने (elimination of redundant documentation) एवं समयबद्ध प्रतिबद्धताओं (time based commitments) को लागू करने पर जोर देगी। इस तरह वर्तमान में केन्द्रीय एवं राज्यीय नियमों की समीक्षा करके उन्हें राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने वाली मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। केन्द्रीय नियमों में अनुशंसित परिवर्तनों को केन्द्रीय शासन की अभिस्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। समीक्षा एवं विचार करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :-

प्रशासनिक सुधार :

- ❖ विशिष्ट अध्यादेश के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन मंडल (राविप्रोम) जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय होंगे 200 मिलियन (20 करोड़) रु. एवं अधिक लागत के निवेश प्रस्तावों के लिए एकमात्र केन्द्र बनाया जाएगा . राविप्रोम विभिन्न चरणों में यथा निवेश पूर्व, निवेश के समय तथा निवेश के उपरांत भी यथोचित सहयोग प्रदान करेगी . राविप्रोम निवेशकों की ओर से सभी वांछित क्लियरेंस निर्धारित समयावधि के अंतर्गत प्राप्त करेगी . राविप्रोम को क्षेत्रीय निवेश प्रोत्साहन समिति जिसके अध्यक्ष यथोचित वरिष्ठ अधिकारी होंगे सहयोग प्रदान करेगी . इन क्षेत्रीय समितियों को अधिकांश शासकीय निर्णयों को अतिक्रमित करने का अधिकार होगा . 200 मिलियन (20 करोड़) रु. से कम की लागत के प्रस्तावों के लिए यह एकमात्र संपर्क केन्द्र होगा ।
- ❖ आवेदन-पत्रों की बहुलता को कम करने हेतु एक समेकित आवेदन पत्र (Combined Application Form) बनाया जाएगा जो एकल बिंदु स्वीकृतियां प्रदान करेगा ।
- ❖ शासन स्वप्रमाणीकरण के लिए एक विस्तृत विधि आरंभ करेगी जिससे उद्योगों को छूट एवं सहायता प्राप्त होगी . यह प्रमाणीकरण एक वैधानिक अंकेक्षक (Statutory Auditor) द्वारा किया जाएगा । स्वप्रमाणीकरण में किसी भी दोष के लिए कठोर दंडात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा ।
- ❖ शासन द्वारा गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की सूची को अद्यतन (Update) एवं संशोधित (Revised) किया जाएगा .
- ❖ रिजनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमेटी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्रों की प्राप्ति एवं निराकरण हेतु जिम्मेदार होगी .
- ❖ प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वयं नियंत्रण यांत्रिकी प्रोत्साहित की जाएगी तथा स्वैच्छित अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार आधारित उपकरणों की व्यवस्था आरंभ की जाएगी .
- ❖ अभिलेखों को सुरक्षित किया जाएगा . उद्योगों द्वारा विभिन्न नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत सावधिक रिटर्न्स (Periodic Returns) दाखिल किए जायेंगे . वर्तमान में जारी निरीक्षण की व्यवस्था का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा .

श्रम सन्नियम (Labour Laws)-

छत्तीसगढ़ देश में संभवतः सर्वाधिक शांतिप्रिय क्षेत्र है जहां निम्नतम कार्यदिवस औद्योगिक विवाद में नष्ट हुआ है , इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवादों को सुलझाने में लगने वाला समय राष्ट्रीय औसत समय की तुलना में काफी कम है , भविष्य में भी इस परंपरा को जीवंत रखा जाएगा ।

- ❖ आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में सभी वर्तमान श्रम नीतियों पर समान रूप से पुनर्विचार करने का सरकार उत्तरदायित्व ले रही है। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह उद्योगों एवं श्रमिक प्रतिनिधियों के सहयोग से किया जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को सरल एवं कारगर बनाने के लिए कुछ भारतीय राज्यों द्वारा की गई पहल को पुनर्विचार में मूल्यांकित किया जाएगा, विशेषकर अध्याय "वी-3" एवं अनुच्छेद "9-ए" तथा "25-एम" के संदर्भ में।
- ❖ 50 से कम श्रमिकों वाले लघु उद्योगों, को इन श्रम कानूनों से छूट प्रदान करने संबंधी प्रावधानों को राज्य शासन तत्परतापूर्वक, केन्द्र सरकार के स्वीकृति हेतु भेजेगी।
- ❖ सरकार उत्पादन आधारित वेतन को लागू करने के लिए उत्प्रेरित करेगी।

औद्योगिक भूमि आबंटन :

- ❖ भूमि आबंटन/परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्णय 30 दिनों के भीतर लिया जाएगा। भूमि परिवर्तन संबंधी उपयुक्त राजस्व प्राधिकारी को प्रस्तुत आवेदन के 30 दिनों के पश्चात् यह मान लिया जाएगा कि तत्संबंधी परिवर्तन हो चुका है। क्षेत्रीय निवेश प्रोत्साहन समिति कथित परिवर्तन संबंधी यथोचित प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा ग्राम पंचायत/संबंधित राजस्व प्राधिकारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में तत्संबंधी प्रविष्टियां कर ली जाएंगी।
- ❖ क्षेत्रीय निवेश प्रोत्साहन समिति प्रत्येक जिला में भूमि बैंक की स्थापना करेगी एवं 5 हेक्टेयर तक की शासकीय भूमि को औद्योगिक उद्देश्य से आबंटित करने हेतु प्राधिकृत होगी। 5 हेक्टेयर से अधिक की शासकीय भूमि का आबंटन राज्य निवेश प्रोत्साहन मंडल के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

उत्कृष्ट अधोसंरचना :

छत्तीसगढ़ शासन औद्योगिक विकास हेतु उत्कृष्ट अधोसंरचना विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

अधोसंरचना विकास की अति आवश्यकता को अनुभव करते हुए शासन द्वारा छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (Chhattisgarh Infrastructure Development Corporation) सी.आई.डी.सी. की स्थापना की गई है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं सी.आई.डी.सी. ने अधोसंरचना के क्षेत्र में राज्य की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए विस्तृत अधोसंरचना विकास की कार्य योजना तैयार की है।

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास :

- ❖ श्रष्ट सेक्टर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं स्तर उन्नयन किया जाएगा।
- ❖ शासन सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के भागीदारी से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इस हेतु शासन भू-अधिग्रहण करके उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराएगी।
- ❖ सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास की लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम रूप से दो करोड़ शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

- ❖ शासन निजी क्षेत्र में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, जेम एवं ज्वेलरी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र एवं जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। शासन इसके लिए अंशपूँजी की सहायता करेगी या ऐसी परियोजनाओं के लिए कम दरों पर भूमि उपलब्ध कराएगी।
- ❖ शासन द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का संचालन एवं संधारण का कार्य व्यावसायिक प्रबंध संस्थाओं को सौंपा जाएगा। शासन ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा संचालन एवं संधारण के लिए रखेगी।
- ❖ समूह आधारित औद्योगिक विकास (Cluster based industrial development) को प्रोत्साहित करने की योजना के अंतर्गत सामूहिक सुविधा व्यवस्था जैसे गुणवत्ता सुधार, तकनीक उन्नयन, बाजार प्रोत्साहन एवं तकनीकी कुशलता उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे प्रति औद्योगिक समूह के लिए दो करोड़ रु. की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- ❖ निजी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों को स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें वे अपने औद्योगिक क्षेत्र के अंदर स्थित उद्योगों को सीधे विद्युत प्रदाय कर सकेंगे।

मानव संसाधन विकास :

- ❖ राज्य शासन एक व्यावसायिक प्रशिक्षण काउन्सिल (State Vocational Training Council) का गठन करेगी। यह काउन्सिल निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण गतिविधियों का समन्वय करेगी। इस काउन्सिल का अध्यक्ष एक स्थानीय प्रतिष्ठित उद्योगपति होगा।
- ❖ शासन राज्य में निजी क्षेत्र/व्यावसायिक घरानों को तकनीकी संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देगी। इसके लिए उन्हें कम दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/पालिटेक्निक का प्रबंधन यथासंभव औद्योगिक संघों को सौंपा जा सकेगा।
- ❖ शासन एक मानव संसाधन विकास फंड की स्थापना करेगी जो कौशल क्षमता विकास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के सीधे भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। ऐसी निर्माण औद्योगिक इकाईयाँ जिनमें 50 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, इस फंड में अपनी मासिक मजदूरी का "1" प्रतिशत देंगी। 50 से कम किंतु 10 से ज्यादा श्रमिक वाली निर्माण इकाईयों को उनके मासिक मजदूरी भुगतान का 0.5 प्रतिशत इस फंड में देना होगा। ऐसे नियोजकों को सहायता के रूप में शासन द्वारा नियोजकों द्वारा फंड में जमा की राशि की दुगुनी राशि फंड को दी जाएगी। नियोजक निश्चित समयावधि के बाद ट्रेनिंग ग्रांट के रूप में फंड में जमा की गई राशि की तिगुनी राशि आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

3.3 लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक (Competitiveness) क्षमता में सुधार :

शासन ने लघु उद्योगों की आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। इन प्रभावी कदमों का उद्देश्य लघु उद्योगों का दीर्घकालीन स्थायी विकास सुनिश्चित करना है। इन निर्णयों से लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास होगा। इससे इनकी बाजार नियंत्रित आर्थिक विकास क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। लघु उद्योगों की गुणवत्ता उत्पादकता एवं नवीन पद्धतियों की विकास क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी।

- ❖ **परियोजना तैयार करना** - परियोजना की तैयारी में अपर्याप्तता संबंधी समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा तीन चरणों में प्रक्रिया अपनाई जाएगी -
 - परियोजना की तैयारी/पुनर्विलोकन व्यावसायिक एजेन्सी के माध्यम से, प्रत्येक जिले में निवेश संबंधी संभावना का सर्वेक्षण .
 - सम्मिलित किए जाने वाले स्थानीय संस्थाओं के साथ पहचान की गई क्षेत्रों में बैंक-ग्राह्य परियोजना का शेल्फ तैयार करना .
 - विशिष्ट परियोजना को कोष उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक संस्थाओं के साथ सन्निकटता के साथ कार्य करना .
- ❖ **सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग** - यद्यपि एक व्यक्तिगत लघु उद्योग इकाई केलिये उत्पादन में सुधार के लिये सूचना प्रौद्योगिकी पहल के कार्यान्वयन की लागत काफी अधिक हो सकती है, तथापि कुछ इकाई समूह इस प्रकार के खर्च को सम्मिलित रूप से वहन कर सकते हैं, तदनुसार सरकार यथोचित सूचना प्रौद्योगिकी प्रासंगिकता को चिन्हित करने में सूचना प्रसार एवं स्थानीय औद्योगिक एसोसिएशनों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ प्रशिक्षण प्रयोजित करने में सहयोग प्रदान करेगी ।
- ❖ **मानव संसाधन विकास** - राज्य सरकार सार्वजनिक - निजी साझेदारी वाली विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिससे लघु उद्योगों की तत्संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके जिसमें बुनियादी सुविधाएँ सरकार द्वारा औद्योगिक एसोसिएशन को बकाया सुविधा प्रबंधन के साथ प्रदान की जाएगी ।
- ❖ **सहयोगात्मक विपणन** - सक्रिय प्रतिभागिता एवं संगठन के द्वारा बाजार प्रोत्साहित कार्यप्रणाली तथा क्रेता - विक्रेता व्यापार मेला आदि के लिये शासन सहयोग प्रदान करेगा, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन, सी.एस.आई.डी.सी. व्यावसायिक एवं आयात से संबंधित जानकारी लघु उद्यमियों को प्रदान करने के उद्देश्य से विस्तृत डाटाबेस विकसित करेगा । शासन द्वारा राज्य के लघु उद्यमियों द्वारा उत्पादित सामग्री के क्रय के लिये एक सामान्य क्रय नियमावली बनाई जाएगी । शासन द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों के यथोचित प्रचार हेतु एक पुस्तिका जिसमें राज्य शासन, कॉर्पोरेशन / बोर्ड एवं वृहत् कंपनियों द्वारा वांछित सामग्रियों की सूची का उल्लेख होगा, का प्रकाशन किया जाएगा साथ ही इंटरनेट पर भी यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी । सिविल सोसायटी आर्गेनाइजेशनों के प्रयासों को भी सरकार सुविधाएं प्रदान करेगी जो छोटे / लघु उद्योगों द्वारा निर्मित सामग्री के विपणन हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेगी ।

❖ **प्रमाणीकरण एवं परीक्षण** - लघु उद्योगों, विशेषकर जो निर्यात बाजार में प्रवेश के लिये इच्छुक हैं, के उपयोग हेतु प्रमाणीकरण एवं परीक्षण सुविधाओं के लिये नेटवर्क स्थापित करने में सरकार प्रोत्साहन प्रदान करेगी, विशेषज्ञतापूर्ण सुविधाओं के लिये प्रायः वृहत निवेश की आवश्यकता होती है एवं निजी सेक्टरों द्वारा इस प्रकार के परीक्षण एवं प्रमाणीकरण सुविधाएं स्थापित करने की पहल करने पर सरकार सहयोग प्रदान करेगी। लघु उद्योगों द्वारा आई.एस.ओ. /आई.एस.आई. प्रमाणित उत्पादित सामग्री को क्रय करने में राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम प्राथमिकता प्रदान करेंगे।

❖ **कार्यशील पूंजी** - लघु उद्योग इकाईयों की वांछित कार्यशील पूंजी में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार के विभाग / उपक्रम इन इकाईयों से क्रय की गई सामग्री का भुगतान 20 दिनों में इस प्रावधान के साथ करेगी कि विलंबित अवधि के लिये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाए।

3.4 निर्दिष्ट प्रोत्साहन (Directed incentives) :

निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्य शासन द्वारा सुविधाएँ दी जाकर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा:-

1. श्रष्ट क्षेत्र के उद्योग
2. वृहत परियोजनाएं

निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को अतिरिक्त सुविधाएँ दी जाएगी -

- बड़ी संख्या में महिला श्रमिक नियोजन वाले उद्योग
- अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योग
- नवीन प्रकार के उत्पादन में एवं गुणवत्ता नियंत्रण में विनियोग करने वाले उद्योग.

यह सुविधाएँ ऐसे नये उद्योगों को प्राप्त होंगी जिनकी स्थापना इस औद्योगिक नीति के लागू होने के दिनांक के बाद हुई हो। स्थापित उद्योगों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण पर ये सुविधाएँ प्राप्त नहीं होंगी बल्कि वे व्यावसायिक संव्यवहारों से नियंत्रित होंगे।

औद्योगिक रूग्णता (Industrial Sickness) के कारणों पर विस्तृत मूल्यांकन के बाद बीमार उद्योगों के लिये पृथक से सुविधाएँ घोषित की जाएंगी। मौलिक रूप से बीमार उद्योगों जिनके पुनर्वास की संभावना नहीं है के लिये एक उदार निर्गम नीति बनाने के लिये केन्द्र शासन को अनुशंसा की जाएगी।

श्रष्ट क्षेत्र के उद्योग (निर्यातोन्मुख उद्योगों सहित) :

अधोसंरचनात्मक सहायता :

निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थापित मध्यम एवं बृहद उद्योगों को उनके अधोसंरचना विकास जैसे भूमि, विद्युत, जल, पहुंच मार्ग, कर्मचारी आवास आदि के विकास पर होने वाले खर्च राशि में शासन द्वारा आंशिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह सहायता अधोसंरचना लागत का 25 प्रतिशत एवं अधिकतम रु. 1 करोड़ तक सीमित होगी।

विद्युत कर (Electricity Duty) :

समस्त नये स्थापित होने वाले उद्योगों को उनके व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक विद्युत कर (Electricity Duty) भुगतान से छूट होगी।

वाणिज्यिक कर : जब कभी भी वेटकर प्रणाली लागू हो उपयोगिता के आधार पर न्यूनतम दर पर।
बृहद परियोजनाएं :

परिभाषा : स्थाई परिसम्पत्तियों में 100 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश करने वाले उद्योग बृहद परियोजनाओं के अंतर्गत आयेंगे।

अधोसंरचनात्मक सहायता :

निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्यत्र अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले मेगा औद्योगिक परियोजनाओं को शासन भूमि, विद्युत, जल, पहुंच मार्ग, कर्मचारी आवास आदि उनके अधोसंरचनात्मक विकास में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी (बिना इस बात पर विचार किए कि वे श्रष्ट क्षेत्र में आते हैं या नहीं) यह सहायता अधोसंरचना लागत के 25% एवं अधिकतम पांच वर्ष के विक्रय कर के बराबर होगी।

विद्युत :

छत्तीसगढ़ विद्युत बहुलता वाला राज्य है. अतः सामान्यतः यहां केप्टिव विद्युत उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं होगी. फिर भी बिजली की आवश्यकता है, और इसकी पूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल करने में असमर्थ है तो ऐसे मेगा परियोजनाओं को विद्युत उत्पादन की अनुमति दी जा सकेगी . यदि कोई इकाई अपशिष्ट उष्मा प्रति प्राप्ति (वेस्ट हीट रिकवरी) के लिये इच्छुक हो तो उससे बिजली उत्पादन करती है तो ऐसे इकाइयों को विद्युत उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस प्रकार के केप्टिव पावर उत्पादन करने वाली इकाई द्वारा उत्पादित बिजली केवल अपनी सहयोगी इकाइयों को ही दिया जा सकेगा न कि राज्य में किसी अन्य इकाई को। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल इकाई द्वारा उत्पादित अपनी आवश्यकता से अतिरिक्त बिजली को अन्य राज्यों को बेचने में हरसंभव मदद करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं केप्टिव पावर उत्पादन इकाई के बीच बिजली विक्रय संबंधी दरों का निर्धारण उनके आपसी सहमति के आधार पर होगा।

केप्टिव पावर उत्पादक संयंत्र से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल तभी बिजली खरीदेगा जब उसे जरूरत हो एवं खरीदे जाने वाले बिजली के दरों का निर्धारण अन्य समस्त ऊर्जा स्रोतों के दरों पर विचार करते हुए किया जाएगा।

विद्युत कर (Electricity Duty) :

समस्त नये स्थापित होने वाले उद्योगों को उनके व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक विद्युत कर (Electricity Duty) में भुगतान से छूट होगी।

लघु उद्योग :

ब्याज अनुदान :

लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने की नीति के अनुरूप, जिनमें स्थायी पूंजी निवेश की अपेक्षा कार्यशील पूंजी अधिक महत्वपूर्ण होती है शासन ब्याज अनुदान के रूप में पांच वर्ष के लिये 5 प्रतिशत वार्षिकी की दर से अधिकतम पांच लाख रु. तक सहायता राज्य में स्थापित होने वाले सभी उद्योगों को देगा।

भूमि उपयोग में परिवर्तन :

अति लघु एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को कृषि उपयोग से औद्योगिक उपयोग में भू - परिवर्तन कराने हेतु भू - परिवर्तन शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी।

प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष (Technology Upgradation Fund) :

शासन द्वारा आगामी पांच वर्षों में तीस करोड़ रु. का एक प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष बनाया जाएगा। इस फण्ड से लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान के रूप में उनके द्वारा तकनीकी प्रोन्नति हेतु बैंक / वित्तीय संस्थाओं से लिये गए ऋण के विरुद्ध वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

गुणवत्ता प्रमाणीकरण (Quality Certification) :

शासन द्वारा लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों को आई.एस.ओ. 9000, आई.ए.ओ. 14000 एवं समान अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रमाणीकरण प्राप्त करने में इकाई द्वारा किये जाने वाले व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 75000/- प्रति इकाई का वहन शासन द्वारा किया जाएगा।

अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविधाएँ :

अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में (अनुसूचित क्षेत्रों सहित) स्थापित होने वाले उद्योगों को उनकी परियोजना लागत का 10 प्रतिशत आधारभूत सहायता के रूप में दिया जाएगा।

उपरोक्त उल्लेखित सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधाएं सभी उद्योगों को उनके श्रेणी पर बिना विचार किए प्राप्त होंगी।

प्रवेश कर से छूट :

प्रवेश कर से छूट का विस्तार वृहद एवं मध्यम उद्योगों सहित सभी श्रेणी के उद्योगों के लिये किया जाएगा। इस सुविधा की विस्तृत विवरण अलग से जारी किया जाएगा।

स्टाम्प शुल्क में छूट :

सभी नये उद्योगों को स्टाम्प शुल्क में छूट होगी। इसके अतिरिक्त नये उद्योगों को बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करते समय पंजीकरण शुल्क में कमी करते हुए प्रति 1000 रु. पर 1 रुपये पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।

तकनीकी पेटेंट :

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमि. (सी.एस.आई.डी.सी.) के अंतर्गत एक सुविधा - कक्ष (फेसिलिटेशन सेल) का गठन किया जाएगा जो उद्यमियों को उनके पेटेंट एवं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रावधानों से संबंधित विषयों में उनकी सहायता करेगा, राज्य के उद्योग तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को पेटेंट प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इस कार्य में होने वाले व्यय के 50 प्रतिशत अधिकतम रु. पांच लाख का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।

अतिरिक्त सुविधाएँ :

ऐसे समस्त नवीन उद्योगों को जिनमें 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो, में यदि 50 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत होने पर शासन द्वारा 10 प्रतिशत या रु. दो लाख (जो भी कम हो) वार्षिक की दर से अतिरिक्त अनुदान 5 वर्षों के लिए दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष सुविधाएँ :

छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को निम्नलिखित विशेष सुविधाएँ देगा -

- (अ) **लागत पूंजी सहायता** : अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा स्थापित समस्त उद्योगों को 25 प्रतिशत लागत पूंजी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के महिला उद्यमी होने की स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता शासन द्वारा दी जाएगी।
- (ब) **ब्याज अनुदान** : बिना किसी अधिकतम सीमा के 10 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
- (स) **भूमि एवं शेड आबंटन** : छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केन्द्रों में ऐसे उद्यमियों को मुफ्त भूमि/शेड उपलब्ध कराया जाएगा अर्थात् उनसे प्रब्याजि एवं भू-भाटक नहीं लिया जाएगा।
- (द) **विद्युत कर (Electricity Duty)** : ऐसे उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों को 15 वर्ष तक विद्युत कर (Electricity Duty) से छूट दी जायेगी।
- (ई) **मार्जिन मनी** : 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम 15 लाख रु. शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- (फ) **परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति** : परियोजना लागत प्रतिपूर्ति के रूप में 100 प्रतिशत अधिकतम रु. 2 लाख ऐसे उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(त) प्राथमिकताएं / रोजगार में आरक्षण : ऐसे वृहत एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग जिनमें कार्य करने वालों को 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों, को 10 प्रतिशत अतिरिक्त आधारभूत लागत सहायता के रूप में दिया जाएगा.

(थ) विपणन : शासन अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को उनके उत्पादन में विपणन से संबंधित हितों की रक्षा करेगी. इसी के अनुरूप क्रय नियामों में संशोधन किया जाएगा .

4.0 क्रियान्वयन एवं समीक्षा (Implementation and Monitoring) : राष्ट्र में गतिशील व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीति का निश्चित समयावधि में क्रियान्वयन एवं समीक्षा किया जाएगा .

इस औद्योगिक नीति के घोषित होने के 60 दिनों के अन्दर सभी संबंधित विभागों एवं संस्थाओं के द्वारा इस नीति के प्रभावशील हो जाने के संबंध में फालोअप नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा .

उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल एक संयुक्त कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा जो शासन को नीति के क्रियान्वयन में सलाह देगा .

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एस.आई.पी.बी. के द्वारा नीति के संबंध में निर्धारित समीक्षा की जावेगी एवं समय - समय पर आवश्यकतानुसार नीति में संशोधन करेगी .

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति क्रियान्वयन के संबंध पर एस.आई.पी.बी. को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जो जन सामान्य के लिये उपलब्ध रहेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
पी.राघवन, प्रमुख सचिव.